

प्रेस नोट - थाना राजेपुर

दिनांक - 19.06.2026

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 88/2026 धारा 333/64(1)/352/351(2)

बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 88/2026 धारा 333/64(1)/352/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रजनीश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम पट्टीदारापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. रजनीश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम पट्टीदारापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

**घटना का विवरण-** दिनांक 08.06.2026 को वादिनी द्वारा थाना राजेपुर पर तहरीर दी गई की वादिनी दिनांक 07.06.2026 को दोपहर में अपने घर अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी। गांव के ही रजनीश पुत्र राजवीर ने घर में घुसकर वादिनी को चारपाई पर दबोच लिया तथा मारपीट कर गलत काम किया है। वादिनी का तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर मु0अ0सं0 88/2026 धारा 333/64(1)/352/351(2) बीएनएस बनाम रजनीश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम पट्टीदारापुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त रजनीश ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म की मांफी मांगते हुए अपने बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

**अभियुक्त रजनीश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 333/64(1)/352/351(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-**

01. थानाध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिंह
02. का0 वंश कुशवाहा
03. का0 बीरज कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**